उत्तर प्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

संख्या-4/2015/770/18-2-2015-173(ल0उ0)/2012

लखनऊः दिनांक : 24 नवम्बर, 2015

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों एवं भावी उद्यमियों की सुविधा के लिए एम.एस.एम.ई. डी. एक्ट, 2006 (MSMED Act, 2006) के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमियों/भावी उद्यमियों द्वारा दाखिल किये जाने वाले इन्टरप्रेनियोरर्स मेमोरण्डम पार्ट-1 तथा इन्टरप्रेनियोरर्स मेमोरण्डम पार्ट-2 (उद्यमी ज्ञापन भाग-1/भाग-2) को इन्टरनेट द्वारा कहीं से भी दाखिल करने की व्यवस्था कार्यालय ज्ञाप संख्या-557/18-2-13-173(ल0उ0)/2012, दिनांक 15 मार्च, 2013 द्वारा लागू की गयी थी।

2- उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-2028, दिनांक 18-9-2015 द्वारा उद्योग आधार ज्ञापन के फाइलिंग एवं पावती निर्गमन की आनलाइन व्यवस्था http://udyogaadhar.gov.in वेबसाईट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। एम.एस.एम.ई. डी. एक्ट, 2006 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों आदि में निहित उद्यमियों एवं भावी उद्यमियों द्वारा पूरी की जाने वाली प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने की भावना है। इस प्रणाली के लागू होने से उद्यमियों/भावी उद्यमियों को यह सुविधा भारत सरकार के वेब पोर्टल http://udyogaadhar.gov.in पर उपलब्ध होगी।

3- उद्योग आधार ज्ञापन के फाइलिंग एवं पावती की इस सुविधा को प्रभावी बनाने के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गयी हैः-

(1) उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने के लिये कोई शुल्क नहीं होगा,

(2) उद्योग आधार ज्ञापन प्रत्येक सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम द्वारा सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित http://udyogaadhar.gov.in उद्योग आधार पोर्टल पर आनलाइन फाइल किया जायेगा लेकिन आपवादिक मामलों में जहां किसी कारण से आनलाइन फाइलिंग सम्भव नहीं है, वहां विधिवत भरे गये अनुबन्ध-1 के रूप में फार्म की हार्ड प्रति संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत की जाये जो ऐसे उद्यम की ओर से उद्योग आधार ज्ञापन आनलाइन फाइल करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) इस अधिसूचना के साथ सलंग्न अनुबन्ध-2 के अनुसार उद्योग आधार पावती सृजित की जायेगी और उद्योग आधार ज्ञापन में दिये गये ई-मेल पते पर मेल कर दिया जायेगा जिसमें विशिष्ट उद्योग आधार संख्या होगी,

(4) मौजूदा उद्यम जिन्होंने उद्यमिता ज्ञापन-1 अथवा उद्यमिता ज्ञापन-2 अथवा दोनों फाइल कर दिये हैं अथवा सूक्ष्म, लघु और उद्यम विकास अधिनियम-2006 (2006 का 27) के लागू होने से पहले लघु उद्योग पंजीकरण धारकों को उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने की जरूरत नहीं होगी लेकिन यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे भी उद्योग आधार ज्ञापन फाइल कर सकते हैं,

(5) उद्योग आधार ज्ञापन में स्वामित्व उद्यम के मामले में प्रबन्ध साझेदार, साझेदारी उद्यम के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति, तथा उद्यमों के अन्य रूपों के मामले में आधार संख्या होगी,

(6) एक ही आधार संख्या का प्रयोग कर एक से अधिक उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा,

(7) उद्योग आधार ज्ञापन स्वघोषणा के आधार पर फाइल किया जायेगा और उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करते समय कोई समर्थन में दस्तावेज अपलोड किया जाना अथवा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसे प्राधिकृत किया जाये, जहां आवश्यक हो, उद्योग आधार ज्ञापन में दी गयी सूचना के दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है।

4- अतः भारत सरकार निर्गत उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2015 के आलोक में ई0एम0 पार्ट-1 एवं ई0एम0 पार्ट-2 के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-557/18-2-13-173(ल0उ0)/2012, दिनांक 15 मार्च, 2013 एवं अन्य आदेशों को एतद्द्वारा निरस्त करते हुये भारत सरकार द्वारा प्राविधानित व्यवस्था को अंगीकृत/लागू किया जाता है।

भवदीय,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,उ0प्र0शासन, लखनऊ।

4-- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

5- अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू,लखनऊ।

6- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,उ0प्र0, कानपुर को इस आशय से भी प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप को विभागीय वेबसाइट पर भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सहित अपलोड कर दें।

7- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।

11- समस्त परिक्षेत्रीय संयुक्त/अपर निदेशक उद्योग,उ0प्र0।

12- समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।